

आवश्यक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-29(क) के अन्तर्गत संगमों और निकायों का राजनीतिक दल के रूप में आयोग द्वारा रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-29(ग) एवं निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम-85(ख) के अन्तर्गत अंशदान प्रतिवेदन प्ररूप-24(क) में दल के कोषाध्याक्ष या राजनीतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाना है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन हेतु सभी दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुसरण करें। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 29.08.2014 एवं पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 19.11.2014, जो सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव को संबोधित है, द्वारा दल की निधियों एवं निर्वाचन व्यय मामलों में पारदर्शिता एवं लेखांकन पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 29.08.2014 द्वारा निदेशित किया गया है कि पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (Registered Unrecognized Political Party) अपने निर्वाचन व्यय, अंशदान रिपोर्ट और वार्षिक लेखा-परीक्षित लेखे से संबंधित विवरण उस राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करायेंगे, जिस राज्य में राजनीतिक दल का मुख्यालय अवस्थित है।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक 56/Complaint-RUPP/PPEMS/2025 दिनांक 06.01.2026, जो इस कार्यालय के पत्रांक 353 दिनांक 13.01.2026 द्वारा बिहार राज्य स्थित सभी पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को प्रेषित है तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाइट <https://ceoelection.bihar.gov.in> पर प्रदर्शित भी है, में उपरोक्त प्रतिवेदनों को जमा करने हेतु निम्न समयावधि (Time line) वर्णित है :-

- (a) अंशदान रिपोर्ट (फार्म-24क) [Contribution Report (Form-24A)] – विगत वित्तीय वर्ष (Preceding FY) का अंशदान रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक या आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए सी0बी0डी0टी0 द्वारा यथा विस्तारित वैसी तारीख तक दाखिल किया जाना है।
- (b) वार्षिक लेखा-परीक्षित लेखे (Annual Audited Accounts) – आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि से एक माह के भीतर दाखिल किया जाना है।
- (c) निर्वाचन व्यय का विवरण (Statement of Election Expenditure) – विधान सभा निर्वाचन के पूरा होने के 75 दिनों और लोक सभा निर्वाचन के पूरा होने के 90 दिनों के भीतर।

साथ ही पत्र की कंडिका-4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि “any Contribution Reports of the Party received beyond the due date shall be treated as non-compliance within the meaning of Section 29C (3) of the Representation of the People Act, 1951, and shall not be taken on record for any purpose.”

विदित हो कि संबंधित पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में समर्पित/दाखिल किये गये अंशदान रिपोर्ट, वार्षिक लेखा-परीक्षित लेखे एवं निर्वाचन व्यय का विवरण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाइट के लिंक <https://ele.bihar.gov.in/rupp-mis/> पर उपलब्ध है, जहाँ से इसका अवलोकन किया जा सकता है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विहित समय और रीति के अनुसार उपर्युक्त रिपोर्ट/विवरण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय, 7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना-800015 में जमा किया जाये।

ज्ञापांक : Exp-02/2026- 915

पटना, दिनांक : 06 फरवरी, 2026 ई०।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के आदेश से,

अध्यक्ष/महासचिव,

Akhil Hind Forward Bloc (Krantikari),

Ward No.36, Holding No. 711/499, Railway Hunder Road,

Upadhyay Lane, West Lohanipur, Kadamkuan, Patna Bihar

800003.

(E-mail - balgovindsinghahfbk@gmail.com)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना।